

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1863 / 2021

दिनांक :26.08.2021

श्री मुकेश आर्य (RJ0425), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) को दिनांक 13.09.2021 से 18.09.2021 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 12.09.2021 एवं 19.09.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/54/2002/5316

दिनांक :26.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 2680 दिनांक 03.08.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री मुकेश आर्य (RJ0425), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
5. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।

सहायक रजिस्ट्रार